कार्यालय उपायुक्त हवामहल जोन (पूर्व) नगर निगम जयपुर

क्रमांकः–F-52/DC/HMZ/(E)/2018/ 459 दिनांकः– 16/2/18

विज्ञप्ति पार्किंग ठेका नीलामी सूचना

नगर निगम जयपुर द्वारा घाटगेट पार्किंग स्टेण्ड परकोटे के पास (पुराना रोडवेज बस स्टेण्ड) जयपुर के ठेके की नीलामी वित्तीय वर्ष 2018–19 (1.4.18 से 31.3.2019 तक) नगर निगम मुख्यालय लालकोठी स्थित नीलामी हॉल में दिनांक 15.3.2018 को समय दोपहर 3 बजे से खुली बोली द्वारा नीलामी की जावेगी।

नीलामी की शर्ते :–

1. नीलामी में भाग लेने से पूर्व **घाटगेट पार्किंग** स्टेण्ड परकोटे के पास (पुराना रोडवेज बस स्टेण्ड) की प्रत्येक बोलीदाता को **25000 /– रूपये** अमानता राशि के रूप में नगद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा कराने होंगे।
2. अमानता राशि प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक जमा कराई जाकर 3.00 बजे से नीलामी बोली प्रारम्भ कर दी जावेगी।
3. ठेके की शेष शर्तो का अवलोकन हवामहल जोन (पूर्व) कार्यालय में कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है।
4. नीलामी बोली के अंतिम निर्णय का अधिकार नगर निगम जयपुर में निहित होगा।

उपायुक्त
हवामहल जोन पूर्व
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त नीलामी सूचना आगामी प्रकाशित होने वाले राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. राजस्व अधिकारी (मुख्यालय) नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि नीलामी दिवस को नीलामी हॉल में चार टेबिल, 50 कुर्सियां व माईक की व्यवस्था करावें।
3. ओसवाल डाटा प्रोसेसर नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को राज्य सरकार के पार्टल पर डाउनलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त
हवामहल जोन पूर्व
नगर निगम जयपुर

नगर निगम जयपुर हवामहल जोन (पूर्व) की पार्किंग की शर्ते

नगर निगम जयपुर द्वारा वर्ष 2018–2019 की अवधि हेतु घाटगेट पार्किंग स्टेण्ड परकोटे के पास (पुराना रोडवेज बस स्टेण्ड) पर स्वीकृत पार्किंग स्टेण्ड की खुली नीलामी द्वारा ठेके पर दिया जावेगा। इस खुली नीलामी/ठेके की शर्ते निम्न प्रकार होगीः–

1. नीलामी में भाग लेने से पूर्व **घाटगेट पार्किंग** स्टेण्ड परकोटे के पास (पुराना रोडवेज बस स्टेण्ड) की प्रत्येक बोलीदाता को **25000 /– रूपये** अमानता राशि के रूप में नगद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा कराने होंगे।
2. बोली में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को अमानता राशि के साथ–साथ बोलीदाता का राशनकार्ड/फोटो पहचान पत्र/आयकर का पेनकार्ड की छायाप्रति व दो फोटो (स्वंय का) प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
3. उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि ठेका अवधि तक निगम कोष में धरोहर राशि के रूप में जमा रहेगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/4 ठेका राशि जमा करा देने पर लौटा दी जावेगी। शेष बोलीदाताओं की अमानता राशि बोली समाप्ति पर लौटा दी जावेगी।
4. उच्चतम बोलीदाता को बोली की 1/4 राशि नीलामी समाप्ति के तुरंत बाद मौके पर जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता 1/4 राशि मौके पर जमा कराने में असफल रहने पर उसकी जमा अमानता राशि जप्त समझी जावेगी तथा गुण अवगुण के आधार पर द्वितीय बोलीदाता की बोली पर विचार किया जावेगा। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की बोली स्वीकृत होने पर उसे बोली की 1/4 राशि तुरंत ही जमा करानी होगी। यह राशि जमा कराने में असफल रहने पर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की अमानता जप्त समझी जावेगी एवं ठेके की पुनः नीलामी की जावेगी।
5. बोली वर्ष 2018–2019 की अवधि हेतु लगाई जावेगी।
6. किसी भी बोली को बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।
7. ठेकेदार को ठेका राशि निम्नानुसार जमा करानी होगीः–
   1. वर्ष 2018–2019 में 1/4 ठेका राशि मौके पर तथा शेष 3/4 ठेका स्वीकृति का अनुज्ञा पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन में जमा राकनी होगी। 3/4 राशि अग्रिम चेक जो की निगम के पक्ष में देय हो, मौके पर नीलामी समाप्ति पर निगम को प्रस्तुत करना होगा।

निर्धारित अवधि में ठेका राशि जमा नही कराने पर 3/4 राशि की वसूली हेतु उक्त राशि का चेक निगम कोष में जमा करा दिया जाएगा। चेक समाशोधन नही होने की दशा में ठेका स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा ठेकेदार की जमा समस्त राशिया जप्त समझी जावेगी तथा ठेकेदार के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

उपायुक्त
हवामहल जोन (पूर्व)
नगर निगम जयपुर

8. पार्किंग स्थल पर पार्किंग करने वाले वाहन धारकों से निम्नांकित तालिका के अनुसार पार्किंग शुल्क वसूल किया जा सकेगाः–

क्र.सं.	पेड पार्किंग घाटगेट	संशोधित दरें
1	चौपहिया वाहन प्रथम घंटा	15 / –रू.
2	चौपहिया वाहन द्वितीय घंटा	25 / –रू.
3	चौपहिया वाहन टोटल दो घंटे तक	35 / –रू.
4	दुपहिया वाहन प्रथम घंटा	5 / –रू.
5	दुपहिया वाहन द्वितीय घंटा	10 / –रू.
6	दुपहिया वाहन टोटल 2 घंटे तक	15 / –रू.

9. लाईसेंसधारी ठेकेदार वाहनो को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खडा कर सकेगा। निर्धारित स्थल के बाहर वाहन खडा करने पर प्रति वाहन 300 / – रू. की दर से शास्ती लगाई जावेगी।

10. जिस पार्किंग स्थल पर जो वाहन खडा करने का ठेका लिया है उसके अलावा अन्य प्रकार का वाहन खडा करना पाया गया तो 300 / – रू. प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से शास्ती वसूल की जावेगी।

11. प्रत्येक वाहन के दो टोकन होगें। एक वाहन स्वामी को दिया जावेगा तथा दूसरा टोकन ठेकेदार के पास रहेगा। टोकन पर वाहन संख्या एवं पार्किंग का समय अंकित करना होगा जिससे वाहन बदलने की संभावना नही रहे। स्टेण्ड पर वाहन की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। स्टेण्ड पर रखा वाहन खो जाने अथवा किसी प्रकार की हानि होने पर वाहनधारक को क्षतिपूर्ति करने का दायित्व ठेकेदार का होगा। नगर निगम जयपुर किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नही होगा।

12. ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर नगर निगम जयपुर द्वारा अनुमोदित टोकन बुक छपवानी होगी यह टोकन बुक जोन कार्यालय द्वारा प्रमाणित करके ठेकेदार को जारी की जावेगी तथा उनका समस्त रिकार्ड रजिस्टर में जोन कार्यालय द्वारा संधारित किया जावेगा।

13. वाहन स्वामी द्वारा टोकन खो देने पर वाहन के स्वामी को वाहन की खरीद आदि के सबूत ठेकेदार को प्रस्तुत करने होगे। ठेकेदार द्वारा पूर्ण जांच करने के बाद ही वाहन लौटाया जावेगा।

14. ठेका छूटने के 15 दिवस में पार्किंग स्थल पर ठेकेदार द्वारा स्थायी 12 x 8 साईज का बोर्ड निर्धारित प्रोफार्मा स्वयं के खर्चे पर लगाना होगा। इस शर्त की पालना नही करने पर अमानता राशि व 1 / 4 राशि जप्त कर पुनः ठेका करने की कार्यवाही कर दी जावेगी। (आयुक्त राजस्व द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसार)

15. ठेकेदार या उनके प्रतिनिधि निर्धारित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई राशि वसूल नही कर सकेगा। ठेकेदार द्वारा निर्धारित दरों के अधिक दरों पर वसूली की प्रथम सत्य शिकायत का 5000 / – रू. द्वितीय सत्य शिकायत पर 10000 / – रू. अर्थदण्ड लगाया जावेगा तथा तीसरी सत्य शिकायत पर जमा समस्त राशियां जप्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

16. ठेकेदार के अधिकृत व्यक्ति / प्रतिनिधि ही ठेका स्थल पर पार्किंग शुल्क वसूल करेगे इनकी सूचना मय फोटो ठेका स्वीकृति के 7 दिवस में ठेकेदार द्वारा जयपुर नगर निगम को उपलब्ध करवाई जावेगी। ठेकेदार या उनके प्रतिनिधियों को ठेका स्थल पर अपने नाम का फोटोयुक्त कार्ड लगाना होगा। ऐसा नही करने पर ठेका शर्तो का उल्लघंन माना जावेगा। कार्ड खर्चा ठेकेदार को वहन करना होगा।

उपायुक्त
हवामहल जोन (पूर्व)
नगर निगम जयपुर

17. ठेकेदार ठेके को अन्य किसी को सबलेट नही कर सकेगा। सबलेट करने पर ठेका निरस्त समझा जावेगा।
18. ठेकेदार पार्किग स्थल पर किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्ता निर्माण नही करवा सकेगा। यदि इस प्रकार की कोई कार्यवाही की जाती है तो उसे ठेकेदार के खर्चे से तुरंत हटाया जावेगा एवं ठेकेदार के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी।
19. ठेका अवधि में जयपुर नगर निगम द्वारा कभी भी राज्यादेश या जनहित में पार्किग स्थल खाली करवाया जा सकता है। इसमें ठेकेदार का किसी प्रकार का एतराज मान्य नही होगा। ऐसी स्थिति में निगम द्वारा ठेकेदार को ठेके की शेष रही अवधि की अनुपातिक राशि लौटाई जावेगी।
20. ठेका स्वीकृति के बाद 7 दिवस में नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर ठेके की शर्तो के अनुसार नियमानुसार जोन आयुक्त को अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस पर 2 जमानति के हस्ताक्षर करवाने होंगे।
21. यदि निगम को किसी ठेकेदार के कृत्य से किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है या दायित्त्व उत्पन्न होता है। तो ठेकेदार इसके लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
22. किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में ठेकेदार की समस्त जमा राशियां जप्त की जावेगी।
23. ठेका शर्तो में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।
24. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर निगम जयपुर का निर्णय अंतिम व दोनो पक्षो को मान्य होगा।
25. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर शहर होगा।
26. विशेष परिस्थितियों में ठेकेदार के आवेदन करने पर ठेका नियमानुसार आगे बढाया जा सकेगा है।

उपायुक्त
हवामहल जोन पूर्व
जयपुर नगर निगम